



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियुक्त को **आजीवन कारावास व ₹15,000** के अर्थदंड कि सजा दिलाई गई ।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन अभियान** के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना ललपुरा में पंजीकृत मु०अ०सं० 29/2022 , धारा- 302 / 201 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई ।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त लालाराम उर्फ लल्लू विश्वकर्मा पुत्र स्व० राधे चरण विश्वकर्मा** निवासी ग्राम कलौलीजार थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर को **आजीवन कारावास व ₹15,000** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



ADGC  
श्री मणिकर्ण शुक्ला



विवेचक  
निरी० श्री श्रीप्रकाश  
यादव



पैरोकार थाना ललपुरा  
हे०का० धर्मेन्द्र मिश्रा